XII 2017-18 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

30 जून 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र के आकार में 9.49 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान आय में जहां 26.63 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ वहीं व्यय में 9.24 प्रतिशत की कमी आयी। वर्ष की समाप्ति पर समग्र अधिशेष पिछले वर्ष के ₹306.59 बिलियन की तुलना में ₹500 बिलियन रहा जो 63.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

XII.1 देश की अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है इससे सामान्यतया उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2017-18 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XII.2 वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के तुलन-पत्र के आकार में वृद्धि हुई। तुलन-पत्र में ₹3,135.00 बिलियन अर्थात 9.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹33, 040.94 बिलियन था जो 30 जून 2018 को बढ़कर ₹36,175.94 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण विदेशी निवेश और ऋण तथा अग्रिम रहे इनमें क्रमश: 11.25 प्रतिशत और 849.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जारी किए गए नोटों और अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में हुई वृद्धि के कारण देयता पक्ष में क्रमश: 26.93 प्रतिशत और 16.95 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां 23.18 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण (भारत में धारित स्वर्ण सहित) 76.82 प्रतिशत थीं, जबकि इसकी तुलना में 30 जून 2017 को ये क्रमशः 24.32 प्रतिशत और 75.68 प्रतिशत थीं।

XII.3 ₹141.90 बिलियन का प्रावधान किया गया और उसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया। आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में कोई अंतरण नहीं किया गया। ₹500 बिलियन का अधिशेष केन्द्र सरकार को

सारणी XII.1 : आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्ति

(₹ बिलियन)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6
ए) आय	646.17	792.56	808.70	618.18	782.81
बी) कुल व्यय[1]	119.34	133.56[2]	149.90[3]	311.55[4]	282.77[5]
सी) निवल प्रयोज्य आय (ए-बी)	526.83	659.00	658.80	306.63	500.04
डी) निधियों को अंतरण[6]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
ई) सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	526.79	658.96	658.76	306.59	500.00

टिप्पणी:1. 30 जून, 2015 से सीएफ और एडीएफ में अंतरण को आय विवरण में प्रावधान शीर्ष के जरिए किया जा रहा है।
2. इसमें एनएचबी के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु ₹10 बिलियन का प्रावधान शामिल है।
3. इसमें बीआरबीएनएमपीएल के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु ₹10 बिलियन का प्रावधान शामिल है।
4. इसमें नवगठित भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुषंगी आरईबीआईटी के लिए पूंजी अंशदान हेतु ₹0.50 बिलियन का प्रावधान और सीएफ में अंशदान हेतु ₹131.40 बिलियन का प्रावधान शामिल है।
5. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए अतिरिक्त ₹141.90 बिलियन का प्रावधान शामिल है।
6. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹10 मिलियन की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन निधि), राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

अंतरित किया गया। आय, व्यय, निवल प्रयोज्य आय और सरकार को अंतरित अधिशेष की प्रवृत्ति सारणी XII.1 में दी गयी है।

XII.4 वर्ष 2017-18 के लिए तैयार तुलन-पत्र और आय-विवरण, सभी अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा लेखा-समर्थित टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत हैः

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

देयताएं	अनुसूची	2016-17	2017-18	आस्तियां	अनुसूची	2016-17	2017-18
पूंजी		0.05	0.05	**बैंकिंग विभाग (बैं.वि.) की आस्तियां**			
आरक्षित निधि		65.00	65.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	5	0.12	0.09
अन्य आरक्षित निधि	1	2.26	2.28	स्वर्ण सिक्के और बुलियन	6	627.02	696.74
जमाराशियाँ	2	8,963.48	6,525.97	निवेश-विदेशी - बीडी	7	9,319.94	7,983.89
अन्य देयताएं और प्रावधान	3	8,946.84	10,463.04	निवेश-घरेलू - बीडी	8	7,557.50	6,297.45
				खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
				ऋण और अग्रिम	9	172.56	1,638.55
				सहयोगी संस्थाओं में निवेश	10	33.70	33.70
				अन्य आस्तियां	11	266.79	405.92
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां**			
जारी किए गए नोट	4	15,063.31	19,119.60	सोने के सिक्के और बुलियन (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)	6	690.30	743.49
				रुपये सिक्के		6.12	9.26
				निवेश-विदेशी-आईडी	7	14,366.89	18,366.85
				निवेश-घरेलू-आईडी	8	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र		0.00	0.00
	कुल देयताएं	**33,040.94**	**36,175.94**		**कुल आस्तियां**	**33,040.94**	**36,175.94**

निर्मल चंद	एम. के. जैन	बी. पी. कानूनगो	विरल वी. आचार्य	एन. एस. विश्वनाथन	ऊर्जित आर. पटेल
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2018 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ बिलियन में)

आय	अनुसूची	2016-17	2017-18
ब्याज	12	660.51	738.71
अन्य	13	-42.33	44.10
	कुल	**618.18**	**782.81**
व्यय			
नोटों का मुद्रण		79.65	49.12
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		1.47	1.15
एजेंसी प्रभार	14	40.52	39.03
कर्मचारी लागत		46.21	38.48
ब्याज		0.01	0.01
डाक और संचार प्रभार		1.02	0.87
मुद्रण और लेखन-सामग्री		0.36	0.23
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		1.23	1.27
मरम्मत और रखरखाव		1.02	1.03
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.02	0.02
लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		0.04	0.06
विधिक प्रभार		0.06	0.09
विविध व्यय		6.96	8.08
मूल्यह्रास		1.08	1.43
प्रावधान		131.90	141.90
	कुल	**311.55**	**282.77**
उपलब्ध शेष राशि		**306.63**	**500.04**
घटाएं:			
(ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
(बी) नाबार्ड को अंतरित योग्य:			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि[1]		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि[1]		0.01	0.01
(सी) अन्य			
वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को अंतरित राशि		0.00	100.00
	केंद्र सरकार को देय अधिशेष	**306.59**	**400.00**

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

निर्मल चंद	एम. के. जैन	बी. पी. कानूनगो	विरल वी. आचार्य	एन. एस. विश्वनाथन	ऊर्जित आर. पटेल
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ बिलियन में)

		2016-17	2017-18
अनुसूची 1:	**अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	0.26	0.27
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	2.00	2.01
	कुल	**2.26**	**2.28**
अनुसूची 2:	**जमाराशियां**		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	947.74	1.01
	(ii) राज्य सरकारें	0.43	0.42
	उप-योग	***948.17***	***1.43***
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	4,729.90	4,744.18
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	36.36	35.20
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	84.08	84.01
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	15.30	19.15
	(v) अन्य बैंक	175.86	188.41
	उप-योग	***5,041.50***	***5,070.95***
	(सी) भारत से बाहर के वित्तीय संस्थान		
	(i) रिपो उधार – विदेशी	0.00	0.00
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	0.00
	उप-योग	***0.00***	***0.00***
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाता के प्रशासक	50.17	46.81
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि	146.97	195.67
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियां	19.22	18.80
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	5.90	2.40
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	3.05	3.20
	(vi) म्यूचुअल फंड	0.01	0.01
	(vii) अन्य	2,748.49	1,186.70
	उप-योग	***2,973.81***	***1,453.59***
	कुल	***8,963.48***	**6,525.97**
अनुसूची 3:	**अन्य देयताएं और प्रावधान**		
	(i) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	2,282.07	2,321.08
	(ii) आस्ति विकास निधि (एडीएफ)	228.11	228.11
	(iii) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	5,299.45	6,916.41
	(iv) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां(आईआरए-एफएस)	0.00	0.00
	(v) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)	570.90	132.85
	(vi) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	0.00	32.62
	(vii) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	29.63	0.00
	(viii) देयराशियों के लिए प्रावधान	39.17	27.88
	(ix) उपदान और अधिवर्षिता निधि	172.06	175.13
	(x) भारत सरकार को अंतरणयोग्य अधिशेष	306.59	500.00
	(xi) देय बिल	0.12	0.05
	(xii) विविध	18.74	128.91
	कुल	**8,946.84**	**10,463.04**

		2016-17	2017-18
अनुसूची 4:	**जारी नोट**		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	0.12	0.09
	(ii) संचलन में नोट	15,063.19	19,119.51
	कुल	**15,063.31**	**19,119.60**
अनुसूची 5:	**नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैंक के पास)**		
	(i) नोट	0.12	0.09
	(ii) रुपये सिक्के	0.00	0.00
	(iii) छोटे सिक्के	0.00	0.00
	कुल	**0.12**	**0.09**
अनुसूची 6:	**स्वर्ण सिक्के और बुलियन**		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण सिक्के और बुलियन	627.02	696.74
	(ii) जमा स्वर्ण	0.00	0.00
	उप-योग	***627.02***	***696.74***
	(बी) निर्गम विभाग (जारी नोट के समर्थन के रूप में)	690.30	743.49
	कुल	**1,317.32**	**1,440.23**
अनुसूची 7:	**निवेश-विदेशी**		
	(i) निवेश-विदेशी - बीडी	9,319.94	7,983.89
	(ii) निवेश-विदेशी - आईडी	14,366.89	18,366.85
	कुल	**23,686.83**	**26,350.74**
अनुसूची 8:	**निवेश घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू - बीडी	7,557.50	6,297.45
	(ii) निवेश-घरेलू - आईडी	0.00	0.00
	कुल	**7,557.50**	**6,297.45**
अनुसूची 9:	**ऋण और अग्रिम**		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम :		
	(i) केंद्र सरकार	25.50	554.35
	(ii) राज्य सरकारें	24.18	14.93
	उप-योग	***49.68***	***569.28***
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम :		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	80.25	1,006.90
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	0.00	0.00
	(vi) अन्य	42.63	62.37
	उप-योग	***122.88***	***1,069.27***
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम :		
	(i) रिपो उधार- विदेशी	0.00	0.00
	(ii) रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	0.00
	उप-योग	***0.00***	***0.00***
	कुल	**172.56**	**1,638.55**
अनुसूची 10:	**अनुषंगी/सहयोगी संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	0.50
	(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	14.50	14.50
	(iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.20	0.20
	(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	18.00
	(v) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमि. (आरईबीआईटी)	0.50	0.50
	कुल	**33.70**	**33.70**

		2016-17	2017-18
अनुसूची 11:	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	4.08	4.41
	(ii) उपचित आय (ए+बी)	232.46	232.99
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	*3.10*	*3.16*
	बी. अन्य मदों पर	*229.36*	*229.83*
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा	18.48	23.10
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए)	0.00	32.62
	(v) विविध	11.77	112.80
	कुल	**266.79**	**405.92**
अनुसूची 12:	**ब्याज**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	542.17	479.68
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-174.26	-95.41
	(iii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	0.60	1.25
	(iv) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	6.89	7.79
	उप-योग	***375.40***	***393.31***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	192.96	234.28
	(ii) रिपो/रिवर्स रिपो लेन-देन पर निवल ब्याज	0.00	0.00
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	92.15	111.12
	उप-योग	***285.11***	***345.40***
	कुल	**660.51**	**738.71**
अनुसूची 13:	**अन्य आय**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) डिस्काउंट	0.00	0.00
	(iii) कमीशन	18.41	20.35
	(iv) प्राप्त किराया	0.06	0.05
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	4.62	60.36
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलिओ अंतरण पर मूल्यह्रास	0.00	-0.08
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम / डिस्काउंट का परिशोधन	35.47	31.13
	(viii) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	0.03	0.01
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	-1.67	3.67
	उप-योग	**56.92**	**115.49**
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम / डिस्काउंट का परिशोधन	-52.92	-36.08
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	4.83	5.36
	(iii) विदेशी मुद्रा कारोबार से प्राप्त विनिमय लाभ / धनि	-51.16	-40.67
	उप-योग	**-99.25**	**-71.39**
	कुल	**-42.33**	**44.10**
अनुसूची 14:	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेन-देन पर एजेंसी कमीशन	39.68	37.60
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	0.53	1.13
	(iii) विविध (राहत /बचत बांडों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया हैंडलिंग प्रभार और टर्नओवर कमीशन)	0.06	0.08
	(iv) बाहरी आस्ति-प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क	0.25	0.22
	कुल	**40.52**	**39.03**

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की जरूरत तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और उन्हें तैयार करने के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो इसके बारे में सच्ची और सही राय देते हैं और ये गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से मुक्त है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की नैतिक अपेक्षाओं और आयोजना ऐसे करें ताकि समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त हो।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण संबंधी राशि और प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की जाँच करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। प्रक्रियाओं का चुनाव लेखा-परीक्षक करते हैं जिसमें तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा-परीक्षक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन के लिए वित्तीय विवरणों का सही प्रस्तुतीकरण और बैंक की तैयारी के लिए उपयोगी आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं, लेकिन इसे बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा से संबंधित जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, वे हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार हैं।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

अन्य मामले

हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा था और वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं और वे संतोषजनक हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में बैंक के बाइस लेखांकन एककों के लेखा शामिल किये गये हैं जो सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं और हमने इस संबंध में उनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

कृते छाजेड एंड दोशी सनदी लेखाकार (आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 101794डबल्यू)	कृते जी. पी. कपाडिया एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार (आईसीएआई फर्म पंजीयन सं. 104768डबल्यू)
नितेश जैन भागीदार सदस्यता क्रम सं. 136169	निमेश भिमानी भागीदार सदस्यता क्रम सं. 30547

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08 अगस्त 2018

30 जून 2018 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य "बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।"

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

ए) बैंक नोटों को जारी करना।

बी) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन।

सी) बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) अंतिम ऋणदाता की भूमिका का निर्वहन।

ई) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।

जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।

आई) विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन और विकास करना।

जे) ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों सहित विकासात्मक कार्य करना।

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए और निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं यथा समय संचलनगत भारत सरकार के करेंसी नोटों और बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

(बी) महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये गये हैं। पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु किए गए संशोधनों को छोड़कर, ये विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं। विवरणों को तैयार करने में अपनायी गयी लेखांकन-नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गई नीतियों के अनुरूप हैं।

2.2 राजस्व निर्धारण

(ए) बैंक से प्राप्त दंडात्मक ब्याज जिसकी गणना प्राप्ति सुनिश्चित होने पर ही की जाती है, को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है। प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाने के बाद उपचित आधार पर शेयरों पर लाभांश आय को निर्धारित किया जाता है।

(बी) देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, विधिक/ मुकदमे बाजी संबंधी मामलों को छोड़कर फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखों में लगातार तीन वर्ष से

अधिक अवधि के लिए गैर-दावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में शामिल किया जाता है। यदि कोई दावा होता है, तो उस पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में इसे आय में से घटा दिया जाता है।

(सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस को लागू विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

2.3 स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेन को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ए) स्वर्ण

विदेशों में रखे गए स्वर्ण सहित स्वर्ण का पुनर्मूल्यन निर्धारण माह के अंत में, उस माह के लिए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा कोट किए गए औसत दैनिक मूल्य के 90 प्रतिशत मूल्य पर किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन लागू विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में जमा/नामे किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह/माह/वर्ष के आखिरी कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से उत्पन्न होने वाले लाभों/हानियों को सीजीआरए में डाला जाता है।

विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण खज़ाना बिलों, कमर्शियल पेपर और कतिपय ''परिपक्वता तक धारित'' प्रतिभूतियों (जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यू.के. द्वारा जारी बांड जिनका मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है, में निवेश) को छोड़कर, प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य (एमटीएम) पर किया जाता है। पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस) में दर्ज किया जाता है। आईआरए-एफएस के जमा शेष को बाद के वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए-एफएस के नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि से लिया जाता है और इसे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के पहले कारोबारी दिवस को आकस्मिकता निधि में वापस जमा कर दिया जाता है।

विदेशी ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पेपर्स को डिस्काउंट का परिशोधन करके यथा समायोजित लागत पर रखा जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम अथवा डिस्काउंट का परिशोधन प्रतिदिन किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/ हुई हानि को बही मूल्य के संदर्भ में मान्य किया जाता है। विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों, आईआरए-एफएस में रखी प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यन से हुए लाभ/हानि को आय-खाते में अंतरित किया जाता है।

सी) वायदा / स्वैप संविदाएं

रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेपी परिचालनों के हिस्से के रूप में की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन वार्षिक आधार पर 30 जून को किया जाता है। जिसमें, बाजार मूल्य पर लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसे 'वायदा संविदाओं के पुनर्मूल्यन खाता' (आरएफसीए) में प्रति-प्रविष्टि के रूप में नामे किया जाता है। बाजार मूल्य पर हानि को एफसीवीए

में नामे डाला जाता है इसका प्रति-प्रविष्टि क्रेडिट 'वायदा संविदा मूल्यन खाता' (पीएफसीवीए) में जमा किया जाता है। 30 जून की स्थिति के अनुसार एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, का प्रभार आकस्मिक निधि के तहत रखा जाना और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाना अपेक्षित होता है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाना अपेक्षित होता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि को वापस किया जाएगा। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि क्रमशः इस प्रकार की वायदा संविदाओं के मूल्यांकन से अप्राप्त निवल लाभ और हानि दर्शाती है।

बाजार से भिन्न दरों पर, जो रिपो के रूप में होती हैं, स्वैप किए जाने की स्थिति में भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की तय दर में अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिपक्षी प्रविष्टियां स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में की जाती हैं। एसएए में दर्ज राशि को अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

एफसीवीए एवं पीएफसीवीए 'अन्य देयताओं' का हिस्सा होते हैं, किंतु आरएफसीए और एसएए 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा होते हैं।

2.4 शेयर बाजार में व्यापार किए जाने वाले मुद्रा व्युत्पन्नियों का लेन-देन (ईटीसीडी)

ईटीसीडी लेन-देन का कार्य बैंक द्वारा इसके हस्तक्षेपी कार्य के रूप में किया जाता है जो दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर तय किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

(ए) रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों, नीचे (डी) में दर्शाई गई प्रतिभूतियों को छोड़कर, का मूल्य माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पुनर्मूल्यन पर हुए लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस) में दर्ज किया जाता है। आईआरए-आरएस में जमा शेष को आगामी वित्तीय वर्ष में आगे लिए ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए-आरएस में नामे शेष, यदि कोई हो, का प्रभार आकस्मिकता निधि पर डाला जाता है और आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम कार्य दिवस को यह राशि वापस कर दी जाती है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों की बिक्री/मोचन करने पर बेची गई/मोचित रुपया प्रतिभूति/तेल बांडों संबंधी मूल्यन लाभ/हानि जो आईआरए-आरएस में दर्ज है, को आय खाते में अंतरित किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों का परिशोधन दैनिक आधार पर किया जाता है।

(बी) खजाना बिलों का मूल्य-निर्धारण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(सी) अनुषंगियों के शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य-निर्धारण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(डी) तेल बांडों और रुपया प्रतिभूतियां जिन्हें विभिन्न प्रकार की स्टाफ निधियों यथा अभिदान एवं अधिवर्षिता, भविष्य निधि, छुट्टी का नकदीकरण, चिकित्सा सहायता निधि और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए फंड) के लिए चिह्नित किया गया है उन्हें 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधित लागत पर धारित किया जाता है।

(ई) घरेलू निवेश के तहत किए गए लेन-देन का लेखांकन निपटान तारीख के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रिपो/रिवर्स रिपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिपो लेन-देन को ऋण माना जाता है और तदनुसार, इनको 'ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया जा रहा है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो लेन-देनों को जमा राशियां माना जा रहा है और इन्हें 'जमाराशि-अन्य' के तहत दर्शाया गया है।

2.7 अचल आस्तियां

(ए) कला तथा पेंटिंग्स जो कि लागत पर रखी जाती है, के अलावा अचल आस्तियों को उनकी लागत में से मूल्यह्रास को घटाते हुए दर्शाया जाता है।

(बी) वर्ष (1 जुलाई से 30 जून तक) के दौरान अधिग्रहित तथा पूंजीकृत भूमि तथा भवन के अलावा अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास पूंजीकरण महीने से आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर माना जाएगा और प्रयुक्त आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर निर्धारित दरों के साथ वार्षिक आधार पर प्रभावी होगा।

(सी) नीचे दी हुई अचल आस्तियों (₹0.10 मिलियन से अधिक की लागत वाले) पर मूल्यह्रास निम्न तरीके से आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी कटौती द्वारा किया जाता है :

आस्ति श्रेणी	उपयोगी जीवन (मूल्यह्रास की दर)
बिजली के उपकरण, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, जुड़नार, सीवीपीएस/एसबीएस मशीनें *इत्यादि*	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कम्प्यूटर, सर्वर, माइक्रो-प्रोसेसर, प्रिंटर्स, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर/आई-पैड *इत्यादि.*	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

(डी) अचल आस्तियां जिनकी लागत ₹0.10 मिलियन तक है (आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप / ई-बुक रीडर को छोड़कर) के अधिग्रहण के वर्ष में आय पर प्रभारित की जाती हैं। लैपटॉप इत्यादि जैसी आसानी से कहीं ले जाने योग्य ₹10,000 से अधिक लागत वाली इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।

(ई) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैयक्तिक मदों, जिनकी लागत ₹0.10 मिलियन या उससे अधिक हो, को पूंजीकृत किया जाता है और उनके मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।

(एफ़) मूल्यह्रास का प्रावधान, वर्ष के अंत में अचल आस्तियों की शेष राशि पर आनुपातिक आधार पर प्रति माह किया जाता है। भूमि और भवन को छोड़कर अन्य आस्तियों के बढ़ने या घटने की स्थिति में मूल्यह्रास मासिक आनुपातिक आधार पर किया जाता है जिसमें इस प्रकार की आस्ति के बढ़ने या कम होने का माह भी शामिल किया जाता है।

(जी) अनुवर्ती व्यय के संबंध में मूल्यह्रास:

(i) वर्तमान अचल आस्ति के संबंध में किए जाने वाले उस अनुवर्ती व्यय, जिसका मूल्यह्रास पूर्णरूप से लेखा बहियों में नहीं दर्शाया गया हो, के मूल्यह्रास की गणना मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन-अवधि के आधार पर की जाती है;

(ii) वर्तमान अचल आस्तियों के आधुनिकीकरण/जोड़े किए जाने/मरम्मत करने पर होने वाले अनुवर्ती व्यय, जिनका मूल्यह्रास पहले ही लेखा बहियों में पूर्ण रूप से दर्शाया जा चुका हो, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उसका मूल्यह्रास पूर्णरूप से उस वर्ष किया जाता है जिसमें व्यय किया गया हो।

(एच) भूमि एवं भवन: भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन सुविधा निम्नानुसार है:

भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे के आधार पर ली गई हैं। ऐसे पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति माना जाता है और तदनुसार इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. 99 वर्ष तक के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।

iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

(i) सभी भवनों का जीवन-चक्र तीस वर्ष का माना जाता है और इनके मूल्यह्रास का प्रभार तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर लगाया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों के संबंध में मूल्यह्रास का प्रभार भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर लगाया जाता है।

(ii) भवनों की क्षति: क्षति के आंकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

ए. ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों अथवा जिनको भविष्य में छोड़ दिया जाएगा : ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यह्रास होगी। बही में दर्ज मूल्य और उक्त प्रकार से परिकलित मूल्यह्रास के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

बी. भवन जिनको हटाया/रिक्त किया गया है: ऐसे भवनों को बेच कर मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) प्राप्त करने योग्य अथवा ढहाए जाने की कीमत को घटा कर स्क्रैप मूल्य (यदि भवन को ढहाया जाना हो) दर्शाया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है । बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने योग्य मूल्य के बीच अंतर (निवल बिक्री कीमत)/ ढहाए जाने की लागत को स्क्रैप मूल्य से घटाकर शेष राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित की जाती है।

2.8 कर्मचारी लाभ

दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित देयता 'अनुमानित इकाई ऋण' प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.5 बैंक की देयताएं और आस्तियां

XII.5.1 बैंकिंग विभाग की देयताएं

i) पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन बनी हुई है।

ii) आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई । उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में 'अन्य देयताओं' की मद का एक हिस्सा है।

iii) अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए. *राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के तहत ₹100 मिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष ₹10 मिलियन की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार इस निधि की शेष राशि ₹0.27 बिलियन थी।

बी. *राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹500 मिलियन की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष सिर्फ ₹10 मिलियन की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹2.01 बिलियन की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रत्येकी ₹10 मिलियन रुपयों की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

iv) जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) नाबार्ड *इत्यादि*, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, कर्मचारी भविष्य निधि की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि), रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ) आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं।

कुल जमाराशि में 27.19 प्रतिशत की गिरावट हुई, यह 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹8,963.48 बिलियन थी जो 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार घटकर ₹6,525.97 बिलियन रह गई।

ए. *जमाराशियां - सरकार*

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों की धारित राशियां क्रमशः ₹947.74 बिलियन और ₹0.43 बिलियन रहीं जो कुल मिलाकर ₹948.17 बिलयन रहीं जबकि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ये क्रमश: ₹1.01 बिलियन और ₹0.42 बिलियन थी और कुल मिलाकर यह ₹1.43 बिलियन थी। केंद्र सरकार की जमा राशि में हुई कमी का मुख्य कारण बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) का मोचन हैं।

बी. *जमाराशियां - बैंक*

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा धारित जमाराशि ₹5,070.95 बिलियन थी जबकि 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹5,041.50 बिलियन थी।

सी. *जमाराशियां-अन्य*

'जमाराशियां - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि, बकाया रिवर्स रिपो की राशियां आदि शामिल होती हैं। डीईए निधि की स्थापना जमाकर्ताओं की रुचि में वृद्धि करने और ऐसे अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए वर्ष 2013-14 में की गई थी। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार डीईए निधि में जमाराशि ₹195.67 बिलियन थी। 'जमाराशियां-अन्य' जो कि 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 2,973.81 बिलियन थी, जो 51.12 प्रतिशत घटकर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹1,453.59 बिलियन हो गई। यह कमी प्राथमिक रूप से रिवर्स रिपो जमाओं में हुई कमी के कारण देखी गई।

v) अन्य देयताएं और प्रावधान

'अन्य देयताओं और प्रवाधानों' के प्रमुख घटक प्रावधान और मूल्यांकन शीर्ष हैं। आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) क्रमश: अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के प्रावधान और सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए अलग से रखी गई राशि एवं आंतरिक पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं, जबकि 'अन्य देयताओं एवं प्रावधान' के शेष घटक; जैसे, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) बाजार मूल्य पर अप्राप्त लाभ/हानि को दर्शाते हैं। 'अन्य देयताएं और प्रावधान' की राशि 30 जून 2017 के अनुसार ₹8,946.84 बिलियन थी, जो 16.95 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 को ₹10,463.04 बिलियन हो गई, जो कि प्राथमिक रूप से सीजीआरए में आई वृद्धि के कारण हुई।

ए. *आकस्मिक निधि (सीएफ)*

आकस्मिक निधि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक द्वारा किए गए प्रावधान को दर्शाती है। इस विशिष्ट प्रावधान में अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के साथ प्रतिभूतियों के हुए मूल्यह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण पैदा होने वाले जोखिम शामिल हैं। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार आकस्मिक निधि में ₹141.90 बिलियन का प्रावधान किया गया और इसे सीएफ़ को अंतरित किया गया तथा आईआरए-एफएस के नामे शेष के कारण आकस्मिक निधि से ₹168.74 बिलियन की राशि प्रभारित की गई। आकस्मिक निधि से प्रभारित राशि अगले वर्ष के पहले कार्यदिवस को ही वापस कर दी गई।

उपर्युक्त के आधार पर आकस्मिक निधि में 30 जून 2017 की स्थिति ₹2,282.07 की तुलना में 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹2,321.08 बिलियन शेष थे।

सारणी XII.2 : आकस्मिक निधि (सीएफ) एवं आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति के अनुसार	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि	कुल	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएफ एवं एडीएफ
1	2	3	4=(2+3)	5
2014	2,216.52	207.61	2,424.13	9.2
2015	2,216.14*	217.61	2,433.75	8.4
2016	2,201.83*	227.61	2,429.44	7.5
2017	2,282.07#	228.11	2,510.18	7.6
2018	2,321.08@	228.11	2,549.19	7.05

*: 30 जून 2015 और 2016 की स्थिति के अनुसार वायदा संविदा पर हुई एमटीएम हानि को वायदा संविदा मूल्यन खाते के नामे शेष प्रभारित करने के कारण आकस्मिक निधि में गिरावट हुई।

#: 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹65.85 बिलियन की राशि का आईआरएस और एफ़सीवीए के नामे शेष प्रभारित करने तथा ₹131.40 बिलियन प्रावधान का निवल प्रभाव से आकस्मिक निधि की राशि में वृद्धि हुई।

@: 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹168.74 की राशि का आईआरए-एफ़एस के नामे शेष प्रभारित करने और ₹141.90 बिलियन प्रावधान का निवल प्रभाव से आकस्मिक निधि में वृद्धि हुई।

बी. आस्ति विकास निधि (एडीएफ)

आस्ति विकास निधि 1997-98 में बनाई गई। यह विषेशरूप से अनुषंगियों और सहायक संस्थाओं में निवेश करने तथा आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए बनाए गए प्रावधाओं को दर्शाती है। वर्ष 2017-18 में एडीएफ़ को अंतरित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार एडीएफ़ में ₹228.11 बिलियन शेष है।

सी. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

रिज़र्व बैंक को पेश आ रहे बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत करेंसी जोखिम, ब्याज जोखिम और स्वर्ण कीमतों में उतार-चढ़ाव हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में नहीं लिया जाता बल्कि इनको सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसलिए सीजीआरए में निवल शेष आस्तिआधार के आकार इसके मूल्यन और विनिमय दरों और स्वर्ण मूल्य में घटबढ के साथ परिवर्तित होता है। सीजीआरए विनिमय दर/स्वर्ण मूल्य के उतार-चढ़ावों के लिए बफर मुहैया कराता है । यदि अन्य मुद्राओं के बनाम रुपये में मजबूती आती है अथवा स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है तो इस पर दबाव पड़ सकता है। जब विनिमय हानियों को पूरा करने में सीजीआरए पर्याप्त नही होता है तो आकस्मिक निधि से इसकी पुन:पूर्ति की जाती है। 2017-18 के दौरान, सीजीआरए शेष 30 जून 2017 के अनुसार ₹5,299.45 बिलियन था जो 30.51 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 के अनुसार ₹6,916.41 बिलियन हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये में गिरावट और अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई।

डी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां(आईआरए-एफ़एस)

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए-एफएस में अंतरित किया जाता है। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए-एफ़एस में 30 जून 2018 की स्थिति के ₹168.74 बिलियन के नामे शेष को 30 जून 2018 के अनुसार आकस्मिक निधि के प्रति समायोजित किया गया जिसे अगले वर्ष के पहले कार्यकारी दिवस को वापस किया गया। तदनुसार, 30 जून 2018 की स्थित के अनुसार आईआरए-एफएस का खाता शेष शून्य था।

ई. निवेश पुनर्मूल्यन खाता - रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस)

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियां और ऑयल बॉन्डों (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत यथा उल्लिखित अपवाद सहित) का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों

सारणी XII.3: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए), विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाते (एफ़सीवीए), वायदा संविदा मूल्यांकन खाते का प्रावधान (पीएफ़सीवीए), निवेश पुनर्मूल्यन खाते - विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफ़एस) और निवेश पुनर्मूल्यन खाता - रुपया प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस) में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	सीजी आरए	एफसीवीए	पीएफ सीवीए	आईआरए-एफ एस	आईआरए–आर एस
1	2	3	4	5	6
2014	5,721.63	42.98	0.00	37.91	0.00
2015	5,591.93	0.00	0.39	32.14	0.00
2016	6,374.78	0.00	14.69	132.66	391.46
2017	5,299.45	0.00	29.63	0.00	570.90
2018	6,916.41	32.62	0.00	0.00	132.85

के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रूपया प्रतिभूति (आईआरए-आरए) में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार आईआरए-आरएस में शेष राशि ₹570.90 बिलियन थी जो 76.73 प्रतिशत कम हो कर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹132.85 बिलियन हो गई। यह कमी वर्ष के दौरान बैंक द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफलों में वृद्धि के कारण थी।

एफ. *विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) और वायदा संविदा मूल्यन खाता (पीएफसीवीए) हेतु प्रावधान*

30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा के बाजार मूल्य (एमटीएम) में ₹32.62 बिलियन का लाभ हुआ, जिसे वायदा संविदा खाते के पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए) में प्रतिपक्षी नामे के साथ एफसीवीए में जमा किया गया। वर्तमान नीति के अनुसार इन खातों में जमा राशि को संविदा की परिपक्वता तक सुरक्षित रखा जाएगा। 30 जून 2018 के अनुसार एफसीवीए में ₹32.62 बिलियन शेष राशि थी।

पिछले पाँच वर्षों में सीजीआरए, एफसीवीए, पीएफसीवीए, आईआरए-विदेशी प्रतिभूतियां और आईआरए-आरएस में शेष राशि की स्थिति सारणी XII.3 में दी गई है।

जी. *देय राशि के लिए प्रावधान*

इस मद के तहत किए गए किंतु चुकता न किए गए खर्च और अग्रिम/देय राशि के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, के लिए वर्षांत में किए गए प्रावधानों को दर्शाता जाता है। देय राशियों के लिए किए गए प्रावधान 2016-17 के ₹39.17 बिलियन से 28.82 प्रतिशत घटकर 2017-18 में ₹27.88 बिलियन रह गए।

एच. *भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष*

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यह्रास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अतिकर का भुगतान नहीं करना है। तदनुसार, व्यय, और सीएफ के लिए प्रावधान तथा ₹0.04 बिलियन सांविधिक निधियों के प्रति अंशदान को समायोजित करने के बाद वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹500 बिलियन है (इसमें पिछले वर्ष के ₹9.93 बिलियन की तुलना में ₹8.49 बिलियन शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर सरकार द्वारा वहन ब्याज व्यय-अंतर के रूप

में देय है) । वर्ष के दौरान ₹500 बिलियन में से ₹100 बिलियन की राशि केंद्र सरकार को अंतरित की गई थी।

i. *देय बिल*

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को मांग ड्राफ्टों (डीडी) और भुगतान आदेशों (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) के जरिए विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मद के तहत शेष बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाता है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹0.12 बिलियन से घटकर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹0.05 बिलियन हो गई।

जे. *विविध*

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी के नकदीकरण के कारण देय राशियां, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान आदि मदें शामिल हैं। इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹18.74 बिलियन से 587.89 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹128.91 बिलियन हो गई । यह वृद्धि प्रमुखतः 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान' जो भुगतान के लिए शेष एसबीएन के मूल्य को दर्शाता है तथा ये 'जारी किए गए नोट' देयता शीर्ष के भाग थे, को ₹107.20 बिलियन अंतरित करने के कारण हुई।

XII 5.2 निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

i. निर्गम विभाग की देयताओं से परिचालनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारम्भ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। जारी किए गए नोट 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹15,063.31 बिलियन से 26.93 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹19,119.60 बिलियन हो गई। यह वृद्धि जनता की संव्यवहार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक नोटों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के संबंध में रिज़र्व बैंक के निरंतर प्रयासों के कारण है।

ii. विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) के रूप में संदर्भित ₹500 और ₹1000 मूल्यवर्ग की सीरीज़ के बैंक नोटों के वैध मुद्रा दर्जे को भारत सरकार सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को जारी गज़ट अधिसूचना संख्या 3407(ई) के द्वारा वापस ले लिया गया । विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (देयताओं की समाप्ति) पर एक अध्यादेश 30 दिसंबर 2016 को प्रख्यापित किया गया, तत्पश्चात इसे (देयताओं की समाप्ति) अधिनियम, 2017 से निरस्त किया गया जो 31 दिसंबर 2016 से प्रभावी था, इसमें यह शर्त थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 34 के तहत विनिर्दिष्ट बैंक नोट संबंधी देयता समाप्त हो जाएगी तथा अधिनियम की धारा 26 की उप धारा (1) के तहत इस संबंध में केंद्र सरकार की गारंटी भी समाप्त हो जाएगी। वे भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर और 30 दिसंबर 2016 के बीच भारत से बाहर थे उन्हें अपने पास रखे हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को रिज़र्व बैंक के कार्यालयों (मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता तथा नागपुर) में कुछ शर्तों के तहत बदलने की रियायत अवधि दी गई।

रिज़र्व बैंक ने विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को या तो सीधे या फिर करेंसी चेस्ट प्रक्रिया के द्वारा बैंक शाखाओं / डाकघरों से प्राप्त किया । विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का सत्यापन तथा प्रोसेसिंग कार्य पूरा हो गया है। सत्यापन और मिलान के बाद 8 नवंबर 2016 के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंक नोटों

के कुल संचलन का मूल्य ₹15,417.93 बिलियन था। संचलन से वापस प्राप्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का कुल मूल्य ₹15,310.73 बिलियन था। तथापि, भारत सरकार द्वारा 12 मई 2017 को जारी गज़ट अधिसूचना के अनुसार जहां विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा अधिहरण किया गया है या अभिग्रहण किया गया है या 30 दिसंबर, 2016 को या इससे पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसे विनिर्दिष्ट नोटों को खाते में जमा करने के लिए या वैध मुद्रा में उनके मूल्य में विनिमय के लिए कोर्ट के आदेशों तथा अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के तहत संतोषप्रद पाए जाने पर रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। इसके अलावा, कुछ जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा रखे गए एसबीएन के विनिमय से संबंधित मामला जिसे मौजूदा वैध प्रावधानों के तहत आरबीआई द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था वह माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस प्रकार के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के मूल्य का भुगतान माननीय न्यायालय के आदेशों के अधीन है। इसी बीच में, ₹107.20 बिलियन मूल्य की राशि के एसबीएन जिनका 30 जून 2018 के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है तथा देयता शीर्ष 'जारी किए गए नोट' का भाग बने हुए थे, को 'जारी किए गए नोट' के शेष से हटा दिया गया है तथा 'अन्य देयताएँ तथा प्रावधान' के तहत इस उद्देश्य के लिए बनाए गए विशिष्ट शीर्ष को अंतरित कर दिए गए। विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय मूल्य संबंधी भविष्य में किए जाए वाले सभी भुगतान पात्र प्रस्तोताओं को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत विशिष्ट शीर्ष में से किए जायेंगे।

XII. 6 आस्तियां

XII.6.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

इस मद के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों की राशि है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹0.09 बिलियन थी जबकि 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹0.12 बिलियन थी।

ii) स्वर्ण सिक्के और बुलियन

रिज़र्व बैंक के पास 30 जून 2017 के 557.77 मीट्रिक टन की तुलना में 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार 566.23 मीट्रिक टन स्वर्ण है। यह वृद्धि वर्ष के दौरान अतिरिक्त 8.46 मीट्रिक टन स्वर्ण शामिल करने के कारण है।

566.23 मीट्रिक टन में से 292.30 मीट्रिक टन (30 जून 2017 के अनुसार 292.28 मीट्रिक टन) स्वर्ण जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित किया जाता है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। 30 जून 2018 के अनुसार 265.49 मीट्रिक टन की तुलना में 273.93 मीट्रिक टन स्वर्ण के शेष को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में माना जाता है। बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2017 की स्थिति के ₹627.02 बिलियन से 11.12 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 को ₹696.74 बिलियन हो गया, इसका प्राथमिक कारण अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए में गिरावट तथा वर्ष के दौरान अतिरिक्त 8.44 मीट्रिक टन स्वर्ण शामिल करना रहा है (सारणी XII.6)।

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किन्तु 2017-18 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरुप, 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की बही में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iv) निवेश – विदेशी – बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियाँ (ii)

सारणी XII.4: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण (एफसीए)

(₹ बिलियन)

	विवरण	30 जून की स्थिति	
		2017	2018
1		2	3
I	निवेश-विदेश-आईडी	14,366.89	18,366.85
II	निवेश- विदेश-बीडी*	9,319.94	7,983.89
	कुल	**23,686.83**	**26,350.74**

*: इसमें बीआईएस और स्विफ्ट के शेयर और 30 जून 2017 के ₹98.47 बिलियन की तुलना में 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹104.79 बिलियन पर मूल्यांकित भारत सरकार से अंतरित एसडीआर शामिल है।

टिप्पणियां:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमत दी है। वर्तमान में एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता 4.44 बिलियन एसडीआर(₹428.35 बिलियन/यूएस$ 6.25 बिलियन) बैठती है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार एनएबी के तहत एसडीआर 0.47 बिलियन (₹45.39 बिलियन/यूएस$ 0.66 बिलियन) राशि का निवेश किया गया है।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बांडों में राशि, जो कुल 5 बिलियन अमरीकी डालर (₹342.88 बिलियन) से अधिक नहीं होगी, के निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे बांडों में यूएस$ 2.10 बिलियन (₹144.01 बिलियन) का निवेश किया है।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ किए गए नोट खरीद करार, 2016 के अनुसार, रिज़र्व बैंक यूएस$ 10 बिलियन (₹685.75 बिलियन) के समतुल्य राशि हेतु एसडीआर में अंकित आईएमएफ नोट्स की खरीद करेगा।
4. वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिज़र्व बैंक में किया जाएगा। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार, बैंक के पास एसडीआर 1.06 बिलियन (₹101.92 बिलियन; यूएस 1.49 बिलियन) की धारिता थी।
5. रिज़र्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के तहत सार्क सदस्य देशों के क्षेत्रीय आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये दोनों में मिलाकर यूएस $2 बिलियन की राशि की पेशकश करने पर सहमति दर्शाई है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार भूटान के साथ यूएस $ 0.1 बिलियन (₹6.74 बिलियन) बकाया स्वैप है।

अंतराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियाँ (iii) वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में शेष (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं।

एफ़सीए को तुलन-पत्र में दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है: (ए) 'निवेश-विदेश-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रुप में दर्शाया गया है तथा (बी) 'निवेश-विदेश-आईडी' जिसे निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

निवेश-विदेशी-आईडी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार पात्र एफ़सीए है जो संचलन में नोटों को सहारा देने के लिए उपयोग की जाती है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के शेष से 'निवेश-विदेशी-बीडी' तैयार होता है।

पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XII.4 में दी गई है।

v) निवेश- घरेलू - बैंकिंग विभाग (बीडी)

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल और विशेष ऑयल बॉन्ड शामिल हैं। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास कोई घरेलू ट्रेजरी बिल धारित नहीं थे। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित घरेलू प्रतिभूतियां जो कि 30 जून 2017 को ₹7,557.50 बिलियन थी वे 16.67 प्रतिशत गिरकर 30 जून 2018 को ₹6,297.45 बिलियन हो गई। यह गिरावट (ए) ₹681.05 बिलियन (अंकित मूल्य) की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री संबंधी निवल खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) के जरिए किया गया चलनिधि परिचालन प्रबंधन, (बी) सरकारी प्रतिभूतियों के मोचन और (सी) मूल्यांकन प्रभाव के कारण थी।

निवेश-घरेलू-बीडी के एक भाग को पैरा 2.5 (डी) में वर्णित के अनुसार बहुत सी स्टाफ निधियों तथा डीईए निधि के लिए भी रखा गया है। 30 जून 2018 के अनुसार ₹463.83 बिलियन (अंकित मूल्य) को एक साथ लिए गए स्टाफ निधि तथा डीईए निधि के लिए रखा गया है।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) *केंद्र और राज्य सरकारें*

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में सीमाएं उनसे विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं और राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलाहकार समिति/ समूह की सिफ़ारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। केंद्र सरकार का

बकाया ऋण और अग्रिम 30 जून 2017 की स्थिति के ₹25.50 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹554.35 बिलियन हो गया। वर्ष 2017-18 के अनुसार राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम 30 जून 2017 की स्थिति के ₹24.18 बिलियन की तुलना में 30 जून 2018 को कम हो कर ₹14.93 बिलियन हो गए।

बी) *वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम*

- *वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम इसमें मुख्यतः* चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिपो के प्रति बकाया राशि शामिल हैं। बकाया राशि 30 जून 2017 को ₹80.25 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2018 को ₹1,006.90 बिलियन हो गई, इसका मुख्य कारण बैंकों की रिपो की तुलना में बकाया राशि में वृद्धि होना रहा।
- *नाबार्ड को ऋण और अग्रिम:* रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार कोई ऋण बकाया नहीं है।
- *अन्य को ऋण और अग्रिम:*

  इस मद के तहत शेष में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता तथा प्राथमिक व्यापारियों के साथ संचालित बकाया रिपो/ मीयादी रिपो शामिल रहते हैं। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2017 की ₹42.63 बिलियन से 46.31 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 को ₹62.37 बिलियन हो गई, जिसका प्रमुख कारण प्राथमिक डीलरों को रिपो की तुलना में बकाया राशि में वृद्धि होना था।

सारणी XII.5: सहयोगी संस्थाओं / एसोशिएट में धारिता

(राशि ₹ बिलियन में)

		लागत	प्रतिशत धारिता
1		2	3
ए)	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	100
बी)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.20	0.40
सी)	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	14.50	100
डी)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	100
ई)	भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (पी) लि. (आरईबीआईटी)	0.50	100
	कुल	**33.70**	

vii) सहयोगी संस्थाओं/ एसोशिएट में निवेश

30 जून 2018 के अनुसार सहयोगी/अनुषंगी संस्थाओं में किए गए निवेश की जानकारी सारणी XII.5 में दी गई है। 30 जून 2018 को कुल धारिता 30 जून 2017 के समान ही ₹33.70 बिलियन थी।

viii) अन्य आस्तियां

'अन्य आस्तियों' में अचल आस्तियां (मूल्यह्रास का निवल), उपचित आय और (i) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), (ii) वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए) धारित शेष तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि, केंद्रीय सरकार को अंतरित अन्तरिम राशि आदि होती हैं। 'अन्य आस्तियों' के तहत बकाया राशि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार 52.15 प्रतिशत बढ़कर ₹405.92 बिलियन हो गयी । 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार यह ₹266.79 बिलियन थी; इसका मुख्य कारण वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को अंतरिम अंतरण करना था।

ए. *स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)*

स्वैप के मामले में, जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रिपो जैसा है, वायदा संविदा दर को उस दर से, जिसके आधार पर संविदा किया गया है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जाता है और इसे स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में धारण किया गया है। इस खाते में धारित राशियों को बकाया संविदाएं परिपक्व हो जाने पर रिवर्स किया जाना है। एसएए में बकाया राशि 30 जून 2017 की स्थिति ₹18.48 बिलियन की तुलना में 30 जून 2018 को ₹23.10 बिलियन थी।

बी) वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

वायदा संविदा जो हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में दर्ज किए जाते हैं वे 30 जून को बाज़ार भाव पर दर्शाए जाते हैं। यदि कोई निवल लाभ है तो उसे एफसीवीए में दर्ज करना होता है और उसकी प्रति-प्रविष्टि (कान्ट्रा एंट्री) आरएफसीए में की जाती है। वायदा संविदाओं पर बाज़ार भाव पर लाभ के कारण 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार आरएफ़सीए में ₹32.62 बिलियन का नामे शेष था।

XII.6.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को सहारा प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण सिक्के और बुलियन, रुपया सिक्का, निवेश - विदेशी आईडी, भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 566.23 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.30 मीट्रिक टन भारत में 30 जून 2018 के स्थिति के अनुसार जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए रखा गया है (सारणी XII.6)। जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2017 को ₹690.30 बिलियन था, जो 7.70 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 को ₹743.49 बिलियन हो गया, और यह अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण हुआ है। जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित निवेश-विदेशी-आईडी 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹14,366.89 बिलियन थी, जो 27.84 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 को ₹18,366.85 बिलियन हो गई। निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹6.12 बिलियन थी, जो 51.31 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹9.26 बिलियन हो गई।

सारणी XII-6: स्वर्ण की वास्तविक धारिता

	30 जून 2017 के अनुसार मात्रा मीट्रिक टन में	30 जून 2018 के अनुसार मात्रा मीट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोटों को सहारा देने हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.28	292.30
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	265.49	273.93
कुल	**557.77**	**566.23**

विदेशी मुद्रा भंडार

XII.7 विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) में स्वर्ण के अलावा मुख्य रूप से एफसीए, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल है। विशेष आहरण अधिकार, (भारत सरकार से प्राप्त राशि के अलावा और निवेश-विदेशी-बीडी में शामिल) रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा नहीं होते हैं। इसी प्रकार, रिज़र्व ट्रान्च स्थिति आईएमएफ में बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में अंशदान के रूप में है और वह बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 30 जून 2017 एवं 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भारतीय रुपए और अमरीकी डॉलर, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मूल्यमान मुद्रा है, के रूप में निम्नानुसार सारणी XII.7 (ए) एवं (बी) है।

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XII.8 रिज़र्व बैंक की आय के मुख्य घटकों में 'ब्याज से होने वाली प्राप्तियां', जो आय का प्रमुख भाग है तथा 'अन्य आय' हैं, जिनमें (i) डिस्काउंट (ii) विनिमय, (iii) कमीशन,

सारणी XII.7 (ए): विदेशी मुद्रा भंडार रुपए में

(₹ बिलियन)

घटक	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2017	2018	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफ़सीए)	23,455.08^	26,098.07#	2,642.99	11.27
स्वर्ण	1,317.32@	1,440.23*	122.91	9.33
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	95.80	101.92	6.12	6.39
आईएमएफ़ में रिज़र्व की स्थिति	150.30	170.40	20.10	13.37
विदेशी मुद्रा भंडार (एफ़ईआर)	25,018.50	27,810.62	2,792.12	11.16

^: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की ₹95.80 बिलियन की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, और (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में ₹135.95 बिलियन का निवेश।

#: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की ₹101.92 बिलियन की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में ₹144.01 बिलियन का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को दिए गए ₹6.74 बिलियन उधार।

@: इसमें से ₹690.30 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹627.02 बिलियन कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

*: इसमें से ₹743.49 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹696.74 बिलियन कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7 (बी): अमरीकी डॉलर में विदेशी मुद्रा भंडार

(अमरीकी डॉलर बिलियन)

घटक	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2017	2018	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफ़सीए)	362.39*	380.77**	18.38	5.07
स्वर्ण	20.35	21.00	0.65	3.19
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1.48	1.49	0.01	0.68
आईएमएफ़ में रिज़र्व की स्थिति	2.32	2.48	0.16	6.9
विदेशी मुद्रा भंडार (एफ़ईआर)	386.54	405.74	19.20	4.97

*: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की 1.48 बिलियन अमरीकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में 2.10 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश।

**: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की 1.49 बिलियन अमरीकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में 2.10 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को रुपए में दी गई करेंसी के समतुल्य 0.10 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार।

(iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों से मिलने वाले प्रीमियम/ डिस्काउंट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन से हुई लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियों हस्तांतरण पर मूल्यह्रास (vii) प्राप्त किराया, (viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ अथवा हानि, एवं (ix) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय शामिल हैं। आय के कतिपय मद, जैसे, एलएएफ रिपो से प्राप्त ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रिपो और विनिमय लाभ निवल आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

चालू वर्ष 2017-18 में 'रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियों हस्तांतरण पर मूल्यह्रास' शीर्ष को जोड़ा गया है। इस शीर्ष में शेष पैरा 2.5 (डी) में वर्णित के अनुसार डीईए निधि तथा स्टाफ निधियों के प्रयोजन के लिए रुपया प्रतिभूतियों के अलग मूल्यह्रास को दर्शाता है।

विदेशी स्रोतों से आय

XII.9 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय 2016-17 में ₹185.86 बिलियन थी, जो 47.43 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹274.01 बिलियन हो गई, जो मुख्य रूप से सभी मुद्राओं की प्रतिफल / ब्याज दरों में सामान्य वृद्धि से हुआ।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ बिलियन)

मद	30 जून की स्थिति के अनुसार		घट-बढ़	
	2017	2018	Absolute	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफ़सीए)	23,686.83	26,350.74	2,663.91	11.25
औसत एफ़सीए	23,110.09	25,170.70	2,060.61	8.92
एफ़सीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ / हानि)	185.86	274.01	88.15	47.43
औसत एफ़सीए के प्रतिशत के रूप में एफ़सीए से अर्जन	0.80	1.09	0.29	36.25

विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2016-17 की 0.80 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 1.09 प्रतिशत पर उच्च थी [सारणी XII.9]।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.10 घरेलू स्रोतों से होने वाली आय 2016-17 में ₹432.32 बिलियन थी, जो 17.69 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹508.80 बिलियन हो गई, जो मुख्य रूप से 2016-17 की तुलना में बैंकिंग प्रणाली में निम्न अधिशेष चलनिधि के कारण एलएएफ / एमएसएफ़ के अंतर्गत कम निवल ब्याज की वजह से हुआ (सारणी XII.9)।

XII.11 रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्डों को धारण करने से होने वाला ब्याज 2016-17 में ₹542.17 बिलियन था, जो 11.53 प्रतिशत घटकर 2017-18 में ₹479.68 बिलियन हो गया। 2017-18 में लगभग ₹681.05 बिलियन की ओएमओ बिक्री के परिणामस्वरूप आरबीआई की सरकारी प्रतिभूतियों में धारिता घटने के कारण कूपन आय में गिरावट हुई।

XII.12 एलएएफ / एमएसएफ परिचालनों से होने वाली निवल ब्याज आय 2016-17 में (-) ₹173.66 बिलियन थी, जो ₹79.50 बिलियन बढ़कर 2017-18 में (-) ₹94.16 बिलियन हो गई। एलएएफ/एमएसएफ परिचालनों से होने वाली निवल ब्याज देय आय में वृद्धि का कारण बैंकिंग प्रणाली में निम्न अधिशेष चलनिधि के परिणामस्वरूप 2017-18 में रिवर्स रिपो के तहत निम्न ब्याज देय था।

XII.13 प्रतिभूतियों की बिक्री और शोधन पर होने वाला लाभ 2016-17 के ₹4.62 बिलियन से 1206.49 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹60.36 बिलियन हो गया जो कि 2016-17 में ₹0.30 बिलियन के विक्रय परिचालन की तुलना में 2017-18 में ₹900.00 राशि के विक्रय परिचालन के कारण था।

XII.14 घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन से प्राप्त होने वाला प्रीमियम/डिस्काउंट: बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्डों को अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधित किया जाता है और प्रीमियम/ डिस्काउंट को आय शीर्ष में जमा किया जाता है। घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट' से होने वाली निवल आय 2016-17 में ₹35.47 बिलियन थी जो 12.24 प्रतिशत गिरकर 2017-18 में ₹31.13 बिलियन हो गई।

XII.15 *ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज*

ए. *केंद्र और राज्य सरकार :*

केंद्र और राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय 2016-17 के दौरान ₹5.37 बिलियन थी, जो 2017-18 में 9.12 प्रतिशत बढ़कर ₹5.86 बिलियन हो गई। केंद्र से अर्थोपाय अग्रिमों / ओवरड्राफ्ट पर ब्याज से होने वाली आय 2016-17 के दौरान ₹3.98 बिलियन थी, जो 2017-18 में बढ़कर ₹4.34 बिलियन हो गई और राज्य से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) पर ब्याज से होने वाली आय 2016-17 के दौरान ₹1.39 बिलियन थी, जो 2017-18 में बढ़कर ₹1.52 बिलियन हो गई। आय में वृद्धि 2017-18 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिमों /ओवरड्राफ्ट के उच्च उपयोग के कारण हुई ।

बी. *बैंक और वित्तीय संस्थाएं :* बैंक और वित्तीय संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2016-17 में ₹1.06 बिलियन था, जो 2017-18 में 27.36 प्रतिशत बढ़कर ₹1.35 बिलियन हो गया।

सी. *कर्मचारी :* कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2016-17 में ₹0.46 बिलियन था, जो 2017-18 में बढ़कर 26.09 प्रतिशत बढ़कर ₹0.58 बिलियन हो गया।

XII.16 *कमीशन:* कमीशन आय 2016-17 में ₹18.41 बिलियन थी, जो 2017-18 में 10.54 प्रतिशत बढ़कर ₹20.35 बिलियन हो गई, जिसकी प्रमुख वजह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की बकाया राशि से

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ बिलियन में)

मद	2016-17	2017-18	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III)	**432.32**	**508.80**	**76.48**	**17.69**
I. घरेलू प्रतिभूतियों से अर्जन				
i) घरेलू प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	542.17	479.68	-62.49	-11.53
ii) प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ	4.62	60.36	55.74	1,206.49
iii) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलिओ अंतरण पर मूल्यह्रास	0.00	-0.08	-0.08	-
iv) घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट	35.47	31.13	-4.34	-12.24
v) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	-174.26	-95.41	78.85	45.25
vi) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	0.60	1.25	0.65	108.33
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v+vi)	***408.60***	***476.93***	***68.33***	***16.72***
II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	5.37	5.86	0.49	9.12
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1.06	1.35	0.29	27.36
iii) कर्मचारी	0.46	0.58	0.12	26.09
उप जोड़ (i+ii+iii)	***6.89***	***7.79***	***0.90***	***13.06***
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) कमीशन	18.41	20.35	1.94	10.54
iv) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध	-1.58	3.73	5.31	336.08
उप जोड़ (i+ii+iii+iv)	***16.83***	***24.08***	***7.25***	***43.08***

होने वाले प्राप्त प्रबंधन कमीशन में वृद्धि; जिसमें बचत बांड, सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक), खजाना बिल (टी-बिल) एवं नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी) शामिल हैं।

XII.17 *प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय:* आय की उपर्युक्त मदों से अर्जन 2016-17 में ₹(-) 1.58 बिलियन था, जो 2017-18 में बढ़कर ₹3.73 बिलियन हो गया।

व्यय

XII.18 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने में अनेक प्रकार के व्यय करता है जैसे, एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों का मुद्रण, खजाना के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय। बैंक का कुल व्यय 2016-17 में ₹311.55 बिलियन के मुक़ाबले 2017-18 में 9.24 प्रतिशत की कमी के कारण ₹282.77 बिलियन रहा जो प्रमुख रूप से नोटों के मुद्रण पर आने वाले खर्चों के घटने की वजह से रहा।

i) ब्याज

2017-18 के दौरान ब्याज के रूप में ₹0.01 बिलियन डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ के संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी हितकारी निधि में जमा किया गया।

ii) कर्मचारी लागत

कर्मचारी लागत 2016-17 में ₹46.21 बिलियन थी, जो 2017-18 में 16.73 प्रतिशत घटकर ₹38.48 बिलियन हो गई। यह कमी मुख्य रूप से बैंक द्वारा विभिन्न सेवानिवृत्त निधियों में योगदान और मामूली रूप से बढ़े वेतन समझौते के कुल प्रभावों के कारण रही । सेवानिवृत्त

सारणी XII.10: व्यय

(₹ बिलियन में)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01
ii. कर्मचारी लागत	43.24	40.58	44.77	46.21	38.48
iii. एजेंसी प्रभार/ कमीशन	33.25	30.45	47.56	40.52	39.03
iv. नोटों का मुद्रण	32.14	37.62	34.21	79.65	49.12
v. प्रावधान	0.00	10.00	10.00	131.90	141.90
vi. अन्य	10.67	14.90	13.35	13.26	14.23
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	**119.34**	**133.56**	**149.90**	**311.55**	**282.77**

निधियों में योगदान इन निधियों के अंतर्गत देयताओं के वास्तविक मूल्य पर निर्भर करता है।

iii) एजेंसी प्रभार/कमीशन

2016-17 तक, आइटम 'टर्नओवर कमीशन राहत बांड / बचत बांड पर बैंकों को भुगतान किया गया' उप-शीर्षक 'सरकारी लेनदेन पर एजेंसी कमीशन' में शामिल किया गया था। इसे अब अनुसूची 14 के 'उप-शीर्षक (iii) - विविध' के साथ फिर से समूहीकृत किया गया है।

ए. *सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन*

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है जिसे पिछली बार 01 जुलाई 2012 से संशोधित किया गया था। सरकारी कारोबार के लिए इन बैंकों को अदा किया गया एजेंसी प्रभार 2016-17 में ₹39.68 बिलियन था, जो 2017-18 में 5.24 प्रतिशत घटकर ₹37.60 बिलियन रह गया। यह कमी सरकारी लेन-देन में इलेक्ट्रानिक माध्यम में स्थानांतरण, विशेष रूप से जुलाई 1, 2017 से लागू जीएसटी फ्रेमवर्क और सरकारी प्रणाली का लेन-देन के लिए आरबीआई के ई-कुबेर के साथ एकीकृत हो जाना हो सकता है।

बी. प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन

रिज़र्व बैंक द्वारा 2017-18 के दौरान कुल हामीदारी कमीशन के रूप में ₹1.13 बिलियन का भुगतान किया गया, जबकि 2016-17 में ₹0.53 बिलियन का भुगतान किया गया था। 2017-18 में हामीदारी कमीशन में हुई 113.21 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिफल में छिटपुट अवधि में अस्थिरता और भारत सरकार के उधारी कैलेंडर में संशोधन के कारण आई अनिश्चितता, बाजार में तरलता में उतार-चढ़ाव, बैंकिंग सेक्टर विकास आदि के कारण हो सकती है।

सी. विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, 'टर्नओवर कमीशन राहत/बचत बाँड पर बैंकों को भुगतान और प्रतिभूति उधार और उधार प्रबंध (एसबीएलए) शामिल है। इस शीर्षक के अंतर्गत भुगतान किया गया कमीशन 2016-17 के ₹0.06 बिलियन से बढ़कर 2017-18 में ₹0.08 बिलियन हो गया।

डी. बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क

2017-18 के दौरान अभिरक्षा सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क ₹0.22 बिलियन रह गया, जो 2016-17 में ₹0.25 बिलियन था।

iv) नोट मुद्रण

2016-17 में नोटों के मुद्रण पर ₹79.65 बिलियन खर्च हुआ, जो 2017-18 में 38.33 प्रतिशत घटकर ₹49.12 बिलियन रह गया। यह कमी मुख्य रूप से वर्ष 2017-18 में नोटों की आपूर्ति में 25,003 मिलियन पीसेस कमी के कारण थी जो पिछले वर्ष 29,043 मिलियन पीसेस की आपूर्ति के मुक़ाबले 14 प्रतिशत कम थी।

v) अन्य

अन्य खर्च 2016-17 के ₹13.26 बिलियन से 7.32 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹14.23 बिलियन रह गया, जिनमें खज़ाना के विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखापरीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं। यह मुख्यतः 2017-18 के दौरान अचल संपत्तियों के मूल्यह्रास में हुई वृद्धि के कारण रहा।

vi) प्रावधान

2017-18 में ₹141.90 बिलियन को आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित करने का प्रावधान किया गया था।

आकस्मिक देयताएं

XII.19 बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹743.00 बिलियन हो गईं, जिसके मुख्य घटक हैं - (ए) फार्वर्ड्स और स्वैप्स में बैंक के एक्सपोजर के लिए ₹733.00 बिलियन; एवं (बी) बैंक, एसडीआर मूल्यवर्ग में, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर धारण करता है। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता 30 जून 2018 को ₹8.61 बिलियन थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती हैं।

पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.20 पूर्व अवधि के लेनदेनों के प्रकटीकरण के लिए केवल ₹0.01 मिलियन और उससे अधिक के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय एवं आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹0.90 बिलियन एवं ₹0.15 बिलियन थे।

पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.21 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

लेखा-परीक्षक

XII.22 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2017-18 की लेखा-बहियों की लेखा-परीक्षा मेसर्स छाजेड एंड दोशी, मुंबई एवं मेसर्स जी. पी. कपाड़िया एंड कंपनी,मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स एम. सी. भंडारी एंड कंपनी, कोलकाता, मेसर्स पी. बी. विजयराघवन एंड कंपनी, चेन्नै तथा मेसर्स मेहरा गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।